



IndianOil

A Maharatna
Company

विपणन प्रभाग
Marketing Division

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

गुडगांव मण्डलीय कार्यालय

83, इंस्टीट्यूशनल एरिया,

सेक्टर-18, गुडगांव-122 001 (हरियाणा)

Indian Oil Corporation Limited

GURGAON DIVISIONAL OFFICE

83, Institutional Area, Sector-18,

Gurgaon - 122 001 (Haryana) India

Ph : +91-124-2340313

Fax : +91-124-2342251

Date: 24/06/2022

To

The District Forest Officer
Gurugram

Subject:

DIVERSION OF FOREST LAND (0.09395 HECTARE) FOR THE PROPOSED FUEL STATION OF M/s INDIAN OIL CORPORATION LIMITED ON SH 15A (GURGAON-JHAJJAR) AT KM 18.200 (LHS) IN VILLAGE- SULTANPUR, TEHSIL-FARUKHNAGAR, DISTRICT- GURUGRAM (HARYANA). Online No. FP/HR/APPROACH/149810/2021

Ref. No.(i) 1150

Dated 16.06.2022

Ref. No.(ii) 892-G

Dated 21.06.2022

Respected Sir,

The NOC case of above noted subject is now submitting after attending all the observations raised by CCF office Gurgaon vide above noted ref. No.(i) and conveyed to us by your office vide above noted ref. No. (ii) are as under:- Now we are uploading the Wild Life NOC for our above said site on the online portal of www.parivesh.nic.in.

Kindly process our proposal further and provide us the desired NOC as soon as earlier.

Thanking you.

गौरव अरोड़ा / Gaurav Arora

प्रबन्धक (रि.से.), गुडगांव-II, रि.से.ए.

Manager (RS), Gurgaon-II RSA

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

INDIANOIL CORPORATION LIMITED

गुडगांव मण्डल कार्यालय/Gurgaon Divisional Officer

Gaurav Arora

Manager(RS)

Gurgaon-II, RSA

IOCL Gurgaon Divisional Office

रजि. कार्यालय : जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051
REGD. OFFICE : G-9, ALI YAVAR JUNG MARG, BANDRA (EAST), MUMBAI-400 051 (INDIA)

वन एवं वन्य प्राणी विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय:- प्र०मु०व०सं० एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा

वन भवन सी-18, सैक्टर-6, पंचकुला-134109 फोन/फैक्स नं. 0172.2561224, 2583682 pccfwlhry@gmail.com

क्रमांक :- 748

दिनांक:- 19/07/2021

सेवा में,

Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chander Bhan,
Vill. Chandu, District, Gurugram,
Haryana.

विषय: NOC for only wildlife angle of the Retail Outlet Pump in Village Sultanpur, District Gurugram by Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chanderbhan, R/o Village Chandu, Gurugram.

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 518 दिनांक 17.09.2020।

ऊपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के इको सेंसेटिव जोन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित जोनल मास्टर प्लान के प्रावधान व मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम की रिपोर्ट के मददेनजर Sh. Ajit Singh S/o Sh. Chander Bhan, Vill. Chandu, District, Gurugram Haryana को Rect No. 165, Kila No. 6 village Sultanpur, district Gurugram में retail outlet petrol pump लगाने की निम्नलिखित शर्तों अनुसार अनापत्ति पत्र जारी किया जाता है:-

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की उल्लंघना नहीं होगी चाहिये। यदि उल्लंघना की गई तो उचित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
2. दिनांक 18.06.2021 को हरियाणा सरकार द्वारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के Eco-Sensitive Zone के Zonal Master Plan के अनुसार अन्य विभागों से NoC/approval लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
3. भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
4. सम्बन्धित विभाग की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
5. कूड़ा कर्कट का निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

6. अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
7. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
8. विभाग इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि ऊपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।

स्पष्ट किया जाता है कि यह अनापत्ति पत्र केवल वन्य जीवन से सम्बन्धित है।
अन्य विभागों के सम्बन्धित दस्तावेजों हेतु प्रार्थी सम्बन्धित विभाग से अनुमति लेगा।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
**Principal Chief Conservator of Forests &
Chief Wildlife Warden**
हरियाणा, पंचकुला

पृ० क्रमांक:-

दिनांक:-

इसकी एक प्रति मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), गुरुग्राम को उनके पत्र क्रमांक 518 दिनांक 17.09.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगागी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
हरियाणा, पंचकुला।